Business Reform Action Plan, 2017 for Ease of Doing Business एवं Online Building Permission System लागू करने के उद्देश्य से दिनांक–29.06.2017, अपराह्न 12:30 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सभाकक्ष में हुई बैठक में विचारित बिन्दुओं का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही –

(उपस्थिति संलग्न)

उपर्युक्त विषयक दिनांक–21.06.2017 को आयोजित पूर्व बैठक में विचारित विन्दुओं के आलोक में दिनांक–29.06.2017 को नगर विकास एवं आवास विभाग से सम्बन्धित अनुशंसाओं के अनुपालन की समीक्षा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गयी। उक्त बैठक में विभाग के सम्बन्धित पदाधिकारी एवं परामर्शी तथा उद्योग विभाग के परामर्शी शामिल थे।

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग से सम्बन्धित 43 अनुशंसाओं की विन्दुवार समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा निम्न निदेश दिये गये –

(i) क्रमांक–1, 2 एवं 3, अनुशंसा क्रमांक (क्रमशः)–70, 71 एवं 73, जो Property Registration Enabler से सम्बन्धित है, के अद्यतन स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। ABM Knowledgeware Ltd. के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अनुशंसा क्रमांक–70 एवं 71 के आलोक में 18 नगर निकायों के आंकड़े वर्ष, 2013 से उपलब्ध हैं तथा अन्य 37 नगर निकायों में यह कार्य प्रगति में है। अनुशंसा क्रमांक–73 का संदर्भ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आंकड़ों के साथ, नगर निकायों में उपलब्ध आंकड़ों का Seamless Integration for GIS Customization के लिए ABM Knowledgeware Ltd. को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(ii) क्रमांक–4, 5, 6, 7 एवं 8, अनुशंसा क्रमांक (क्रमशः)–100, 101, 102, 103 एवं 104 (Inspection by building Proposal office/ relevant agency as a part of obtaining construction permit) पर विचार विमर्श किया गया। उक्त अनुशंसाएं, जो बिहार भवन उपविधि, 2014 से सम्बन्धित हैं, के आलोक में भवन उपविधि में संशोधन की कारवाई प्रक्रियाधीन है। इन अनुशंसाओं को लागू करने के उदेश्य से विस्तृत दिशा–निदेश प्रधान सचिव द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं ABM Knowledgeware Ltd. (Software Developer) को दिया गया। यह कार्य शीघ्र सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।

(iii) क्रमांक–9, 10, 11, 12 एवं 13, अनुशंसा क्रमांक (क्रमशः)–111, 112, 113, 114 एवं 115 (Inspection by building Proposal office/ relevant agency as a part of obtaining Occupancy/ Completion Certificate) भवन उपविधि से सम्बन्धित है। इन अनुशंसाओं के आलोक में भवन उपविधि में संशोधन प्रक्रियाधीन है। Online Inspection report Submission के लिए Field and Cheklist का निर्धारण करते हुए Inspection App Develop करने का निदेश ABM Knowledgeware Ltd. को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। Compurtised Allocation of Inspector के Random Selection के लिए Risk Based Claffication के आधार पर कार्य आवंटन के लिए Software में आवश्यक प्रावधान करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(iv) क्रमांक–14, अनुशंसा–194 (Online Single Window System) के आलोक में Common Application Form तैयार करने के उदेश्य से Fire Clearance, Environmental Clearance, NoC from Airport Authority के लिए Application Form(s) की जानकारी सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त करने का निदेश ABM Knowledgeware Ltd. को दिया गया। इन कार्यालयों/विभागों से सम्बन्धित NoC के Timeframe की जानकारी प्राप्त कर Common Application Form में Timeframe के निर्धारण पर विचार–विमर्श किया गया।

इन कार्यालयों/विभागों से वांछित NoC प्राप्त करने हेतु इनके Website के साथ Interface विकसित करने तथा इससे सम्बन्धित प्रावधान Common Application Form में किये जाने का निदेश ABM Knowledgeware Ltd. को दिया गया।

(v) क्रमांक–15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30, अनुशंसा क्रमांक (क्रमशः)–217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 एवं 234 (Construction Permit Enabler/ Building Plan Approval) भी भवन उपविधि से सम्बन्धित हैं। इन अनुशंसाओं के आलोक में भवन उपविधि में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

क्रमांक–19, अनुशंसा क्रमांक–221 (Develop Legally valid Master Plans/Zonal Plans/ Land Use Plans for all Urban Areas and make it publicly available) के अद्यतन स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। राज्य के 55 शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य **सुशासन के कार्यक्रम** में शामिल है। पटना महानगर क्षेत्र के लिए पटना मास्टर प्लान, 2031, वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया है। AMRUT Submission के अन्तर्गत राज्य के 27 शहरों एवं 01 राजगीर नगर पंचायत सहित कुल 28 शहरों का GIS Based Master Plan तैयार करने की कारवाई की जा रही है, जो अगले 03 वर्षों की अवधि में सम्पादित की जा सकती है। राज्य के सभी नगर निकायों/शहरी क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्य योजना तैयार की जा सकती है। इन सभी कार्यों में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिवेदित किया जा सकता है कि माह अक्टूबर, 2017 तक यह कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

क्रमांक–20, अनुशंसा क्रमांक–222 (Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits) के सम्बन्ध में बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–8(7) में संशोधन करते हुए नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर पर समिति गठित करने सम्बन्धी प्रावधान भवन उपविधि में शामिल करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

क्रमांक–23, अनुशंसा क्रमांक–227 जो Combined affidavits and undertakings से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में प्रधान सचिव द्वारा ABM Knowledgeware Ltd. को सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर Software में आवश्यक सुधार करने का निदेश दिया गया।

बिहार भवन उपविधि, 2014 में प्रक्रियाधीन संशोधन के उपरान्त, क्रमांक–24 (अनुशंसा–228), क्रमांक–26 (अनुशंसा–230) एवं क्रमांक–30 (अनुशंसा–234) का अनुपालन संभावित है।